न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–337/17

1. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार थाकन, जाति जाट, निवासी मण्डावा रोड, वार्ड नम्बर–5, राजस्थान पब्लिक स्कूल के पास, झुन्झुनू।
2. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री नरेश कुमार, जाति जाट, निवासी मण्डावा रोड़, वार्ड नम्बर–5, राजस्थान पब्लिक स्कूल के पास, झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामसिह पुत्र श्री श्योचन्दराम, जाति जाट निवासी सीतसर, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. श्योपाल सिह पुत्र श्री गोरू उर्फ गोरूराम,
3. जालूराम पुत्र श्री गोरू उर्फ गोरूराम, जाति जाट, निवासी सीतसर, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. प्यारेलाल पुत्र श्री बल्लूराम, जाति जाट निवासी मण्डावा रोड वार्ड नम्बर–5, राजस्थान पब्लिक स्कूल के पास, झुन्झुनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 16.10.2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू के आदेश दिनांक 23.05.2017 (प्रकरण संख्या 346/16) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि खसरा नम्बर 35 रकबा 1.09 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम सीतसर, तहसील व जिला झुन्झुनू में स्थित है, जिसके 1/3 हिस्से के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार श्योचन्द रहा है, श्योचन्दराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिसकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 236 दिनांक 09.06.2017 को खोला जाकर स्वीकार किया गया है, श्योचन्दराम के वारिसान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामसिंह, नानू देवी पत्नी स्व. श्री श्योचन्दराम है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपने हिस्से की भूमि 1/3–1/3 का बेचान जरिये विक्रय पत्र दिनांक 24.03.2014 व दिनांक 26.03.2014 को अपीलान्ट्स के हक में पंजीकृत करवा दिया तथा मौके पर भूमि का वास्तविक कब्जा संभला दिया तथा विक्रय पत्र दिनांक 24.03.2014 व दिनांक 26.03.2014 के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 10.04.2014 स्वीकृत किया गया जिसका अमल जमाबन्दी में किया गया तथा अपीलान्ट्स क्रयशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा लगान सरकार को अदा कर रहे है, नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 10.04.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष चुनौती दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत को नजर अन्दाज

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कर तथा तथ्यों को देखे बिना सरसरी तौर पर नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 10.04.2014 की अपील अधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 के जरिये अवैध व अनुचित रूप से निरस्त कर दिया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी कॉन्ट्रेरी टूँ लॉ अपीलाधीन निर्णय पारित कर भयंकर कानूनी गलती की है, इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट्स ने भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 से उसके हिस्से की भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की है तथा अपीलान्ट्स बोनाफाईड परचेजर विथ पजेशन है तथा आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 1.09 हैक्टयर वाके ग्राम सीतसर के 2/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का अपीलान्ट्स व रेस्पोडेनट संख्या 2 व 3 की भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई हक हकूक सृजित नही होते है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर काई ध्यान नही देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। उन्हाने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 162 तस्दीक दिनांक 10.04.2014 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामसिंह पक्षकार नही था इसने अधीनस्थ न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 162 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नही ली, इसलिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील इन कॉम्पेटिन्ट थी, जो इसी बिन्दू पर अपील खारिज योग्य थी जिस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने तनिक भी ध्यान न देकर भयंकर भूल की है, इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील स्पष्टयाः अवधि बाहर थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कोई रिजनेबल, प्रोपर व उचित कारण नही बताये थे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अनुचित व अवैध रूप से स्वीकार कर भयंकर गलती की है, इसिलये आदेश अधीन अपील निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 21 व उसके भ्राता रामनिवास ने जो दावा संख्या 242/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उस दावे में विक्रेतागण के हिस्से विवादित नही थे और ना ही दावे में विक्रेतागण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई घोषणा ही चाही गई थी बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भ्राता रामनिवास ने 1/3 हिस्से के खातेदार अपने पिता श्योचन्दराम के विरूद्ध कोपासनरी सम्पत्ति बताकर उसके जीवनकाल में ही इस्तकारहक बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया था उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था जिसमें विक्रय पत्र पंजीकृत होने की दिनांक 23.03.2014 व दिनांक 26.03.

P.T.O.

2014 व नामान्तरकरण संख्या 162 तस्दीक होने की दिनांक 10.04.2014 को कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावशील नही थी तथा ना ही अपीलान्ट्स के विक्रेतागण के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलीफ ही चाही गई थी अपीलार्थीगण एवं विक्रेतागण का हिस्सा अविवादित था जिस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने तनिक भी ध्यान न देकर कतई अनुचित अवैध आदेश अधीन अपील पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधीन अपील न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू दिनांक 23.05.2017 निरस्त किया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 10.04.2014 ग्राम सीतसर तहसील झुन्झुनू को बहाल किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तधा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू के यहॉ विचाराधीन दावा में दिनांक 08.09.12 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो आगामी तारीख पेशीयों पर बढाई जाती रही है तथा दिनांक 12.03.14 को आगमी तारीख पेशी दिनांक 24.04.14 दी गई लेकिन अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त करने सम्बन्धी आदेश आदेशिका में उपलब्ध नही है जबकि वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 10.04.14 को स्वीकार किया गया है जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष विचाराधीन दावा में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के दौरान स्वीकृत किया गया है जिसे कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नही ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2017 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।